



परियोजना प्रबन्ध इकाई

उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना

पत्रांक :

4558 / 08-01

लखनऊ, दिनांक:

15 सितम्बर, 2010

सेवा में,

डी0एम0यू0/प्रभागीय वनाधिकारी,

पीलीभीत, उ0 खीरी, द0 खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, झॉसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, ओबरा, सोनभद्र, रेनूकूट, कतर्नियाघाट, सुहेलवा, कैमूर, काशी, दुधवा।

विषय: संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के उप-नियम।

महोदय,

परियोजना प्रबन्ध इकाई के स्तर पर परियोजना प्रबन्ध परामर्शदात्री (पी0एम0सी0) के साथ सघन विचार-विमर्श के उपरान्त संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों के उप निबन्धक/सहायक निबन्धक, फर्म सोसाइटी, चिट्स के समक्ष पंजीकरण हेतु By-laws, शपथ-पत्र एवं ज्ञापन के मॉडल आलेख तैयार किये गये हैं। इनको संलग्न किया जा रहा है। आप संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यदि कोई समिति किसी स्थिति विशेष के सन्दर्भ में इसमें कोई परिवर्तन चाहती है तो अपने स्तर पर ही निर्णय लेकर कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

इको-विकास समितियों हेतु उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या यू0ओ0-84/14-प0भू0-99-63/97, वन अनुभाग-4, दिनांक 21.05.1999 के माध्यम से निर्गत शासकीय संकल्प के साथ संलग्न प्रपत्र-2 में ज्ञापन व प्रपत्र-3 में By-laws तैयार कराये जायें।

संलग्नक: यथोपरि।

पत्रांक - 4558 / 08-01

प्रतिलिपि: मय संलग्नक के निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. समस्त परियोजना निदेशक।
2. वित्त नियन्त्रक।
3. समस्त उप परियोजना निदेशक।
4. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेंट।

भवदीय,
(रूपक डे) 14/9/10

मुख्य परियोजना निदेशक,
जे0आई0सी0ए0 परियोजना,
उ0प्र0, लखनऊ।

(रूपक डे) 14/9/10

मुख्य परियोजना निदेशक,
जे0आई0सी0ए0 परियोजना,
उ0प्र0, लखनऊ।

०/०